अध्याय - 3

छूट एवं रियायतें

समूह 'क' के अंदर पदोन्नतियों में रियायत

3.1 समूह 'क' के किसी पद से समूह 'क' के किसी दूसरे पद पर चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में आरक्षण का प्रावधान नहीं है। परंतु जब समूह 'क' के किसी पद से समूह 'क' के किसी ऐसे पद पर चयन द्वारा पदोन्नति की जाती है जिसके साथ ग्रेड पे 8700/-रूपए या कम हो, तो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के ऐसे अधिकारियों, जो पदोन्नति के लिए विचार क्षेत्र में काफी वरिष्ठ हों ताकि वे ऐसी रिक्तियों की संख्या के अंदर शामिल हो सकें जिनके लिए चयन सूची तैयार की जानी है, को इस सूची में शामिल किया जाएगा, बशर्ते उन्हें पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त नहीं समझा जाता है। तथापि, चयन सूची में उनका स्थान वही होगा जो उनके सेवा रिकार्ड के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उन्हें प्रदान किया गया है।

टिप्पणी : ऐसे मामलों में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों के अधिकारियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन पद से संबद्ध कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, न कि उस पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित बेंचमार्क, यदि कोई हो, के आधार पर।

प्रतिनियुक्ति एवं विलयन द्वारा नियुक्ति के लिए विचार

3.2 प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण नहीं लागू होते हैं, किंतु जब भी कोई मंत्रालय / विभाग / संबद्ध कार्यालय / अधीनस्थ कार्यालय आदि जन हित में अपने अधीन सेवारत अधिकारियों को किसी दूसरे मंत्रालय / विभाग आदि में या उसके अधीन पद पर प्रतिनियुक्त करने का प्रस्ताव करता है, तो उनके अधीन सेवारत अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों के ऐसे कर्मचारियों, जो प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के लिए पात्र हैं, पर भी इस प्रकार की प्रतिनियुक्ति के लिए अन्य पात्र कर्मचारियों के साथ विचार किया जाना चाहिए। मंत्रालयों / विभागों जिनके अधीन प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा भरे जाने वाले पद उत्पन्न होते हैं, को भी ऐसे पद (पदों) के लिए व्यक्तियों का चयन करते समय अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के ऐसे पात्र कर्मचारियों के मामलों पर समुचित रूप से विचार करना चाहिए जिनके नाम उन पदों पर प्रतिनियुक्ति अथवा विलयन पर नियुक्ति के लिए अग्रेषित किए गए हैं। जहां किसी नियोक्ता मंत्रालय या कार्यालय द्वारा प्रतिनियुक्ति या विलयन पर भरे जाने वाले पदों की संख्या बहुत अधिक हो, तो संबंधित नियोक्ता मंत्रालय / कार्यालय प्रमुख को यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि ऐसे पदों का समुचित अनुपात इन समुदायों के अर्हक व्यक्तियों की फीडर श्रेणियों से उपलब्धता के अधीन अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों से भरा जाता है।

सीधी भर्ती में आयु संबंधी छूट

3.3 किसी सेवा या पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के मामले में 5 वर्ष तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के मामले में 3 वर्ष की वृद्धि की जाएगी।

पदोन्नति में आयु में छूट

3.4 जहां किसी सेवा / पद पर पदोन्नति के लिए अधिक से अधिक 50 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा निर्धारित की गई है, वहां अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के

उम्मीदवारों के मामले में इसमें 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तथापि, यह ऐसे पदों पर लागू नहीं होगा जिसमें श्रम साध्य फील्ड ड्यूटी शामिल होगी या जो प्रचालनात्मक सुरक्षा के लिए होंगे तथा यह अर्ध सैन्य संगठनों के पदों पर भी लागू नहीं होगा।

शुल्क में रियायत

3.5 अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को किसी भर्ती परीक्षा / चयन में प्रवेश के लिए किसी शुल्क का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी।

सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए अनुभव संबंधी अर्हता में छूट

3.6 जहां किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता के रूप में अनुभव की कुछ अवधि निर्धारित की गई हो तथा जहाँ संबंधित मंत्रालय / विभाग की राय में अनुभव संबंधी अर्हता में छूट दक्षता से असंगत नहीं होगी, वहाँ संगत भर्ती नियमावली में 'आवश्यक अर्हता' के तहत नीचे (क) या (ख) के जैसा कोई प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए ताकि निम्नलिखित प्रावधानों में उल्लिखित परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग / सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव संबंधी अर्हता में छूट देने में समर्थ हो सके :

(1) जहाँ पद को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है, शामिल किया जाने वाला प्रावधान इस प्रकार होगा :

"अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हता में छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि इन समुदायों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। नियोक्ता प्राधिकारी ऐसा करते समय लिखित रूप में अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट के कारणों को दर्ज करेगा।"

(2) जहाँ पद को संघ लोक सेवा आयोग से भिन्न माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है, शामिल किया जाने वाला प्रावधान इस प्रकार होगा :

"अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधी अर्हता में छूट दी जा सकती है, यदि चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि कि इन समुदायों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव वाले उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। नियोक्ता प्राधिकारी ऐसा करते समय लिखित रूप में अनुभव संबंधी अर्हताओं में छूट के कारणों को दर्ज करेगा।"

3.7 जब अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित किसी रिक्ति को विज्ञापित किया जाता है या इसके बारे में नियोजन कार्यालय को सूचित किया जाता है, तब विज्ञापन / मांग पत्र में इस बात का विशिष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि भर्ती नियमावली में प्रावधान के अनुसार यथा स्थिति संघ लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के मामले में अनुभव की निर्धारित अवधि में छूट दी जा सकती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे आकांक्षी जिनके पास अपेक्षित अनुभव से थोड़ा कम अनुभव है, इस संबंध में छूट की संभावना के बारे में जान सकें।

सीधी भर्ती में उपयुक्तता के मानक में छूट

3.8 परीक्षा द्वारा अथवा अन्यथा सीधी भर्ती में, यदि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानक के आधार पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो इनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को भरने के लिए इन समुदायों के उम्मीदवारों का चयन किया जाना चाहिए, बशर्ते उन्हें ऐसे पद या पदों को भरने के लिए अनुपयुक्त न पाया जाए। इस प्रकार, सामान्य मानक के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या को जिस हद तक नहीं भरा जा सकता है, उस हद तक उक्त पद / पदों पर नियुक्ति के लिए इन उम्मीदवारों की उपयुक्तता के अधीन मानक में छूट देकर इन समुदायों के उम्मीदवारों को लिया जाएगा ताकि आरक्षित कोटा में कमी की भरपाई की जा सके।

3.9 ऊपर उल्लिखित रियायत के अलावा, ऐसे मामलों में जहाँ अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में ग्राह्य शिथिलीकृत मानकों तक को पूरा करने वाले अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार लिखित परीक्षा से भिन्न सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए अपेक्षित गैर तकनीकी एवं अर्ध तकनीकी समूह 'ग' एवं 'घ' सेवाओं / पदों में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो चयन करने वाले प्राधिकारियों को चाहिए कि वे अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों की सीमा तक नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों में से ऐसे सर्वोत्तम उम्मीदवारों का चयन करें जो भर्ती विज्ञापन के नोटिस में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं को पूरा करते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को इन पदों के लिए आवश्यक न्यूनतम मानक पर जाने के लिए तथा प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए, उन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा अपने स्वयं के कार्यालयों के अंदर सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नियुक्त होने पर, ऐसे उम्मीदवारों को परिवीक्षा पर रखा जाएगा तथा उन पर परिवीक्षा से संबंधित नियम / आदेश लागू होंगे।

3.10 मंत्रालयों / विभागों को चाहिए कि वे अपने अधीन सभी प्राधिकारियों को समूह 'ग' एवं 'घ' में ऐसे गैर तकनीकी एवं अर्ध तकनीकी पदों की सूची तैयार करने के लिए निर्देश दें जिन पर उपर्युक्त प्रावधान लागू होते हैं। ऐसे पदों में रिक्तियों को अधिसूचित या उन्हें विज्ञापित करते समय, इस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए कि ये पद समूह 'ग' एवं 'घ' में गैर तकनीकी पद हैं।

शैक्षिक अर्हता में कोई छूट नहीं

3.11 जहाँ भर्ती नियमों में कोई शैक्षिक अर्हता निर्धारित की गई है, वहाँ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों समेत सभी उम्मीदवार उक्त अर्हता को पूरा करेंगे। कभी - कभी भर्ती नियमों में शैक्षिक अर्हता के अंग के रूप में न्यूनतम प्राप्तांक या न्यूनतम ग्रेड निर्धारित होती है। ऐसे मामलों में, इस प्रकार निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक / ग्रेड अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों समेत सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होगी।

विभागीय प्रतियोगी / अर्हता परीक्षाओं में मानकों में छूट

3.12 यदि विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से की गई पदोन्नतियों के मामले में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानक के आधार पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो उनके लिए आरक्षित शेष रिक्तियों को

भरने के लिए अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों के ऐसे उम्मीदवारों पर भी विचार किया जा सकता है जिन्होंने सामान्य अर्हता मानक हासिल नहीं किया है, बशर्ते उन्हें पदोन्नतियों के लिए अनुपयुक्त नहीं पाया जाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसी परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के पक्ष में अर्हता संबंधी मानक में छूट दी जा सकती है, यदि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य मानक के आधार पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों।

3.13 उपयुक्तता के अधीन वरिष्ठता के आधार पर की गई पदोन्नतियों में, जिनमें अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण हो तथा जहाँ ऐसी पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए अर्हता परीक्षा का आयोजन किया जाता है, ऐसी परीक्षा में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों उम्मीदवारों के मामले में अर्हता संबंधी मानक में उपयुक्त छूट दी जानी चाहिए। पदोन्न्तियों के लिए ऐसी विभागीय अर्हता परीक्षाओं में भी अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के पक्ष में मानक में इसी तरह की छूट दी जानी चाहिए, जहाँ पदोन्नति चयन द्वारा दी जाती है तथा योग्यता का निर्धारण अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की अर्हता परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। उपर्युक्त मामलों में छूट की सीमा के बारे में निर्णय ऐसे प्रत्येक अवसर पर किया जाना चाहिए जब ऐसी कोई परीक्षा आयोजित की जाती है तथा निम्नलिखित समेत सभी संगत कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए (i) आरक्षित रिक्तियों की संख्या, (ii) उस परीक्षा में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों एवं सामान्य उम्मीदवारों का निष्पादन, (iii) पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता संबंधी न्यूनतम मानक, और (iv) संवर्ग की समग्र संख्या और उस संवर्ग में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों की संख्या।

संगत कार्यालय ज्ञापन आदि

1	एमएचए सं. 15/1/55 - एस सी टी	30 अप्रैल, 1955
2	एमएचए ओएम सं. 1/9/69 - स्था (एससीटी)	26 मार्च, 1970
3	डीपी एंड ए आर ओ एम सं. 1/10/74 - स्था (एससीटी)	23 दिसंबर 1974
4	डीपी एंड ए आर ओ एम सं. 27/10/71 - स्था (एससीटी)	05 सितंबर, 1975
5	डी ओ पी टी ओ एम सं. 36021/6/1975 - स्था (एस सी टी)	09 अक्टूबर, 1975
6	डीओपी एंड टी ओ एम सं. 15012/2/81 - स्था (डी)	08 अप्रैल, 1981
7	डीपी एंड ए आर ओ एम सं. डी- 1458/81 - स्था (एससीटी)	21 मई, 1981
8	डी ओ पी टी ओ एम सं. 36011/8/84 - स्था (एस सी टी)	29 मई, 1985
9	डी ओ पी टी ओ एम सं. 36013/3/84 - स्था (एस सी टी)	01 जुलाई, 1985
10	डी ओ पी टी ओ एम सं. 36012/23/96 - स्था (आरईएस) खंड III	03 अक्टूबर, 2000

अध्याय - 4
आरक्षण कोटे का निर्धारण

आरक्षित पदों की संख्या का निर्धारण

4.1 13 से अधिक पदों वाले किसी संवर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों की संख्या का निर्धारण संबंधित श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण के प्रतिशत से संवर्ग की संख्या में गुणा करके किया जाएगा। ऐसा करते समय अंश, यदि कोई हो, को नजरंदाज किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : मान लीजिए कि सेवा के किसी ग्रेड में पदोन्नति में आरक्षण उपलब्ध है तथा उसमें संस्वीकृत पदों की कुल संख्या 600 है, जिसमें से 50 प्रतिशत पदों को अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भरा जाना है तथा 50 प्रतिशत पदों को गैर चयन द्वारा पदोन्नति के जरिए भरा जाना है। सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या 300 X 15/100 के बराबर होगी जो 45 बैठती है। अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या 300 X 7.5/100 के बराबर होगी जो अंश को नजरंदाज करने के बाद 22 बैठती है तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित पदों की संख्या 300 X 27/100 के बराबर अर्थात 81 होगी। इसी तरह, पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या क्रमश: 45 एवं 22 होगी। उल्लेखनीय है कि सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों के मामले में अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित पदों की संख्या 22.5 बैठती है। अंश को नजरंदाज करके आरक्षित पदों की सही संख्या निकाली जाती है।

4.2 यदि किसी संवर्ग में पदों की संख्या 2 अथवा 2 से अधिक किंतु 14 से कम हो, तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्था (आरईएस) दिनांक 2 जुलाई 1997 के जरिए निर्धारित एल आकार के रोस्टर के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा। एल आकार के ये रोस्टर कुछ और न होकर 14 प्वाइंट रोस्टर हैं जिन्हें नीचे दिया गया है। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक किंतु 14 से कम पदों वाले संवर्गों में निम्नलिखित 14 प्वाइंट रोस्टर के आधार पर रोटेशन द्वारा आरक्षण प्रदान किया जाएगा :

रोस्टर प्वाइंट	सीधी भर्ती	पदोन्नति
(i)	(ii)	(iii)
1	यूआर	यूआर
2	यूआर	यूआर
3	यूआर	यूआर
4	ओ बी सी	यूआर
5	यूआर	यूआर
6	यूआर	यूआर
7	एस सी	एस सी
8	ओ बी सी	यूआर
9	यूआर	यूआर
10	यूआर	यूआर
11	यूआर	यूआर
12	ओ बी सी	यूआर
13	यूआर	यूआर
14	एस टी	एस टी

टिप्पणी 1 : आरक्षण रजिस्टर / रोस्टर के अनुरक्षण / आरक्षण की गणना के संबंध में 'संवर्ग की संख्या' नामक प्रयुक्त पद का अभिप्राय लागू भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती के विशिष्ट तरीके के माध्यम से भरे जाने के लिए अपेक्षित पदों की संख्या से है। 200 पदों वाले

किसी ग्रेड में, जहां भर्ती नियमों में सीधी भर्ती, पदोन्नति तथा प्रतिनियुक्ति / विलयन के लिए क्रमश: 40:40:20 का अनुपात निर्धारित किया गया है, सीधी भर्ती के लिए संवर्ग की संख्या 80 होगी तथा पदोन्नति के लिए संवर्ग की संख्या भी 80 होगी। चूंकि प्रतिनियुक्ति / विलयन के मामले में आरक्षण का प्रावधान नहीं है इसलिए 40 पद आरक्षण के अधीन नहीं होंगे।

टिप्पणी 2 : जहां भर्ती रिक्ति के आधार पर की जाती है, संभव है कि किसी निर्धारित समय पर सीधी भर्ती के अनुपात में वृद्धि हो जाए तथा तदनुसार पदोन्नति के अनुपात में कमी आ जाए या विलोमत:। ऐसे मामलों में सीधी भर्ती के लिए संवर्ग की संख्या तथा पदोन्नति के लिए संवर्ग की संख्या में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन हो सकता है। परिणामत:, सीधी भर्ती के कोटे में आरक्षित पदों की संख्या तथा पदोन्नति कोटे में आरक्षित पदों की संख्या में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन होंगे। इसी तरह, यदि किसी अन्य कारण से संवर्ग की संख्या में कोई वृद्धि या कमी होती है, तो आरक्षित पदों की संख्या में तदनुसार वृद्धि या कमी होगी।

टिप्पणी 3 : आरक्षण में अधिकता अथवा कमी, जो संवर्ग की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो सकती है, को परवर्ती भर्तियों में समायोजित किया जाएगा / भरपाई की जाएगी।

आरक्षित रिक्तियों का निर्धारण

4.3 किसी वर्ष में रिक्तियों को भरते समय, सभी तीनों श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में कमी की भरपाई करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तथापि, यह इस शर्त के अधीन होगा कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या उस वर्ष की रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

4.4 आरक्षित रिक्तियों को भरने पर 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा केवल ऐसी रिक्तियों पर लागू होगी जो चालू वर्ष में उत्पन्न होगी तथा सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए बैकलॉग तथा पिछले वर्षों की पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को एक अलग एवं भिन्न समूह के रूप में लिया जाएगा तथा उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या पर 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा का निर्धारण करने के लिए इन पर उस वर्ष की आरक्षित रिक्तियों के साथ विचार नहीं किया जाएगा जिसमें उन्हें भरा जाता है।

टिप्पणी 1 : किसी संवर्ग में किसी विशिष्ट आरक्षित श्रेणी के आरक्षण में कमी का अभिप्राय 'संवर्ग में उस श्रेणी के लिए आरक्षित पदों की कुल संख्या' तथा 'संवर्ग में आरक्षण द्वारा नियुक्त एवं पदों पर मौजूद उस श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या' के बीच अंतर से है।

टिप्पणी 2 : किसी श्रेणी की बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां ऐसी रिक्तियां हैं जो किसी पिछले भर्ती वर्ष में उस श्रेणी के लिए आरक्षित के रूप में निर्धारित थीं किन्तु उस श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवारों के न मिल पाने के कारण भर्ती के पिछले प्रयास में उन्हें भरा नहीं जा सका तथा वे आज भी भरी नहीं हैं।

4.5 नीचे एक उदाहरण दिया गया है जिससे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारित करने की विधि स्पष्ट हो जाएगी।

(i) एक ऐसा संवर्ग है जिसमें पदों की कुल संख्या 1000 है जिन्हें खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के जरिए भरा जाता है। इस संवर्ग में आरक्षण द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या सभी पदों के भर जाने पर आदर्श रूप में क्रमश: 150, 75 और 270 होनी चाहिए।

(ii) मान लीजिए कि वर्ष 2006 में सभी 1000 पद भर गए हैं परंतु आरक्षण द्वारा नियुक्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या क्रमश: 130, 75 एवं 100 थी। इस प्रकार, उस वर्ष में संवर्ग में

20 अनुसूचित जातियों एवं 170 अन्य पिछड़े वर्गों की कमी थी, हालांकि सभी पद भरे थे।

(iii) **(क)** मान लीजिए कि भर्ती वर्ष 2007 में संवर्ग में 200 रिक्तियां उत्पन्न हुईं, जिनमें से 20 अनुसूचित जातियों द्वारा, 10 अनुसूचित जन जातियों द्वारा तथा शेष अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा खाली की गईं। इन पदों के खाली होने के बाद संवर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों की कमी क्रमश: 40, 10 एवं 170 हो गई। यद्यपि संवर्ग में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या में काफी कमी थी, परंतु इनमें से केवल 100 रिक्तियों को आरक्षित के रूप में निर्धारित किया जा सका क्योंकि सभी 200 रिक्तियां वर्तमान रिक्तियां थीं तथा इन रिक्तियों पर किसी वर्ष में आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा लागू होगी।

(ख) अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या में कमी वर्तमान रिक्तियों के क्रमश: 15 प्रतिशत एवं 27 प्रतिशत से अधिक थी। इसलिए वर्तमान रिक्तियों के 15 प्रतिशत को सीधे अनुसूचित जातियों के लिए तथा 27 प्रतिशत को अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया गया अर्थात अनुसूचित जातियों के लिए 30 रिक्तियों को आरक्षित के रूप में निर्धारित किया गया तथा 54 रिक्तियों को अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित किया गया। अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों की संख्या में कमी 10 थी जो कुल रिक्तियों के 7.5 प्रतिशत से कम है। इसलिए अनुसूचित जन जातियों के लिए केवल 10 रिक्तियों को आरक्षित के रूप में निर्धारित किया गया। उपर्युक्त सिद्धांत को लागू करते हुए 94 रिक्तियों को आरक्षित के रूप में निर्धारित किया गया। इस प्रकार कमी की भरपाई करने के लिए आरक्षित के रूप में निर्धारित करने के लिए 6 {100-(30+54+10)} और रिक्तियों की गुंजाइश बची थी। इन 6 रिक्तियों को इन श्रेणियों के लिए निर्धारित आरक्षण अर्थात 15 प्रतिशत और 27 प्रतिशत के अनुपात में अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बीच विभाजित किया गया अर्थात अनुसूचित जातियों के लिए 2 रिक्तियां और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 4 रिक्तियां निर्धारित की गईं (अंश को निकटतम पूर्णांक में परिवर्तित किया गया)। तथापि, इस तरह का वितरण करते समय इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत होती है कि किसी श्रेणी के लिए आरक्षित के रूप में निर्धारित रिक्तियों की संख्या उस श्रेणी में कमी से अधिक न हो। इस प्रकार, वर्ष 2007 के लिए रिक्तियों के संबंध में आरक्षण का अंतिम निर्धारण अनुसूचित जातियों के लिए 32, अनुसूचित जन जातियों के लिए 10 और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 58 था।

(ग) मान लीजिए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती वर्ष 2007 में अनुसूचित जातियों के केवल 20 उम्मीदवारों, अनुसूचित जन जातियों के 5 उम्मीदवारों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के 50 उम्मीदवारों की नियुक्ति हो पाई। इस प्रकार, अनुसूचित जातियों की 12 रिक्तियों, अनुसूचित जन जातियों की 5 रिक्तियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की 8 रिक्तियों, जो आरक्षित के रूप में निर्धारित थी, को भरा नहीं जा सका तथा वे खाली पड़ी रहीं। अनुसूचित जातियों की इन 12 रिक्तियों, अनुसूचित जन जातियों की 5 रिक्तियों और अन्य पिछड़े वर्गों की 8 रिक्तियों, जो आरक्षित के रूप में निर्धारित थीं किंतु भर्ती के प्रयास में खाली पड़ी रह गईं, को परवर्ती भर्ती वर्ष के लिए बैकलॉग आरक्षित रिक्ति के रूप में माना जाएगा। वर्ष 2007 की भर्ती प्रक्रिया के समाप्त हो जाने के बाद, भरे हुए पदों की कुल संख्या 975 थी, जिसमें से 130, 70 एवं 150 पदों पर क्रमश: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य थे। उल्लेखनीय है कि इस स्तर पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण में कमी क्रमश: 20, 5 और 120 थी। तथापि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों की बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की संख्या क्रमश: 12, 5 और 8 थी।

(iv) मान लीजिए कि भर्ती वर्ष 2008 में 200 रिक्तियां उत्पन्न हुईं, जिनमें से अनुसूचित जातियों द्वारा 20, अनुसूचित जन जातियों द्वारा 10 और अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा

20 रिक्तियां सृजित की गईं। इस समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों की संख्या में कमी क्रमश: 40, 15 और 140 थी। इस वर्ष में कुल रिक्तियां 200+12+5+8 = 225 थीं, जिनमें से 200 रिक्तियां वर्तमान रिक्तियां थीं और 25 रिक्तियां बैकलॉग रिक्तियां थीं। आरक्षण का निर्धारण करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों की 25 बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को एक अलग एवं भिन्न समूह के रूप में लिया जाएगा तथा अनुसूचित जातियों के लिए 12, अनुसूचित जन जातियों के लिए 5 एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 8 रिक्तियों को आरक्षित रखा जाएगा। 200 वर्तमान रिक्तियों में से अधिक से अधिक 100 रिक्तियों को आरक्षित रिक्ति के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। वर्ष 2007 की तरह इसी सिद्धांत को लागू करते हुए, 200 वर्तमान रिक्तियों में से अनुसूचति जातियों के लिए 28, अनुसूचित जन जातियों के लिए 10 और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 62 रिक्तियों को आरक्षित रिक्ति के रूप में निर्धारित किया गया। इस प्रकार, भर्ती वर्ष 2008 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या, जिसमें बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां शामिल हैं, क्रमश: 40, 15 और 70 थी। यदि इन आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के केवल क्रमश: 35, 12 और 50 उम्मीदवार उपलब्ध होते हैं, तो अनुसूचित जातियों के लिए 5, अनुसूचित जन जातियों के लिए 3 और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 20 रिक्तियों को खाली रखा जाएगा और उन्हें परवर्ती भर्ती वर्ष के लिए बैकलॉग आरक्षित रिक्ति के रूप में माना जाएगा।

4.6 ऐसे संवर्गों के मामले में जहां रोटेशन द्वारा आरक्षण दिया जाता है, आरक्षित रिक्तियों की संख्या का निर्धारण रोस्टर प्वाइंट के अनुसार किया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि किसी वर्ष की वर्तमान रिक्तियों में से अधिक से अधिक 50 प्रतिशत को आरक्षित किया जाता है तथा संवर्ग में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होता है। यदि किसी चरण पर रिक्तियों के भरने से संवर्ग में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण उत्पन्न होता है, तो आरक्षण को अगले वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा।

संगत कार्यालय ज्ञापन आदि

1	डी ओ पी टी ओ एम सं. 36012/2/1996 – स्था (आरईएस)	02 जुलाई, 1997
2	डी ओ पी टी ओ एम सं. 36033/1/2008 – स्था (आरईएस)	15 जुलाई, 2008

अध्याय - 5
आरक्षण रजिस्टर तथा आरक्षण रोस्टर

5.1 ऐसे संवर्गों के मामले में जिसमें 13 से अधिक पद हों, सभी नियोक्ता प्राधिकारियों को चाहिए कि वे **अनुबंध I** में दिए गए प्रपत्र में आरक्षण रजिस्टर तैयार करें।

5.2 14 से कम पदों वाले संवर्गों के लिए **अनुबंध II** में दिए गए प्रपत्र में आरक्षण रोस्टर रजिस्टर तैयार किए जाएंगे।

5.3 आरक्षण रजिस्टर तथा आरक्षण रोस्टर रजिस्टर तैयार करने एवं अनुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाएगा :

(1) सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा की गई नियुक्तियों के लिए अलग - अलग रजिस्टर / रोस्टर रजिस्टर अनुरक्षित किए जाएंगे। पदोन्नति के मामले में, पदोन्नति के प्रत्येक माध्यम अर्थात सीमित प्रतियोगी परीक्षा, चयन, गैर चयन आदि के लिए अलग रजिस्टर / रोस्टर रजिस्टर अनुरक्षित किए जाएंगे।

(2) स्थायी नियुक्तियों तथा संभावित रूप से स्थायी होने वाली या अनिश्चित काल तक चलने वाली अस्थायी नियुक्तियों के लिए एक साझा रजिस्टर / रोस्टर रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा।

(3) 45 या इससे अधिक दिन वाली किंतु स्थायी होने अथवा अनिश्चित काल तक चलने की संभावना रहित विशुद्धत: अस्थायी नियुक्तियों के लिए एक अलग रजिस्टर / रोस्टर रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा।

(4) कोई नियुक्ति किए जाने के तुरंत बाद, नियुक्त व्यक्ति के ब्यौरों को उपयुक्त कालमों में रजिस्टर / रोस्टर रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा तथा नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा प्रविष्टि पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

(5) रजिस्टर / रोस्टर रजिस्टर को भरते समय कोई खाली स्थान नहीं छोड़ा जाएगा।

(6) रजिस्टर / रोस्टर रजिस्टर को वर्ष दर वर्ष चालू खाते के रूप में अनुरक्षित किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी वर्ष में भर्ती प्वाइंट 6 पर बंद हो जाती है, तो अगले वर्ष में भर्ती प्वाइंट 7 से शुरू होगी।

(7) यदि आरक्षण रजिस्टर ऐसा हो जाए कि उसे संभालना कठिन हो जाए, तो शुरुआती रजिस्टर तैयार करने की विधि का प्रयोग करके एक नया रजिस्टर शुरू किया जा सकता है।

(8) ऐसे संवर्गों के मामले में जहां रोटेशन द्वारा आरक्षण दिया जाता है, रोस्टर के सभी प्वाइंट्स को पूरा करने के बाद रोस्टर का नया चक्र शुरू किया जाएगा।

(9) चूंकि प्रतिनियुक्ति / विलयन पर आरक्षण लागू नहीं होता है, इसलिए जहां भर्ती नियमों में इन विधियों द्वारा पदों के कुछ प्रतिशत को भरने का प्रावधान होता है, वहां आरक्षण का निर्धारण करने के लिए ऐसे पदों को शामिल नहीं किया जाएगा।

(10) प्रत्येक भर्ती वर्ष के बाद, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व तथा बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों आदि के ब्यौरों का उल्लेख करते हुए आरक्षण रजिस्टर में लेखा-जोखा दर्ज किया जाएगा।

टिप्पणी : आरक्षण रजिस्टर / रोस्टर रजिस्टर केवल यह सुनिश्चित करने के लिए सहायक साधन होते हैं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कोटा उन्हें प्राप्त होता है। ये रजिस्टर / रोस्टर रजिस्टर वरिष्ठता का निर्धारण नहीं करते हैं।

पदों की समूहबद्धता

5.4 सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामले में, इन पदों के लिए स्टेटस, वेतन एवं निर्धारित अर्हता को ध्यान में रखते हुए आरक्षण संबंधी आदेशों के प्रयोजनार्थ छोटे संवर्गों को समान समूह के पदों के साथ समूहबद्ध किया जा सकता है।

5.5 फराश के पदों को आरक्षण के प्रयोजनार्थ समूह घ के पदों की अन्य श्रेणियों के साथ समूहबद्ध किया जाना चाहिए, भले ही किसी कार्यालय / स्थापना में फराश के पदों की संख्या अधिक न हो।

5.6 पूर्व अनुमति के लिए निम्नलिखित के संबंध में एक साथ समूहबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित पदों के पूर्ण ब्यौरे के साथ पदों को समूहबद्ध करने से संबंधित प्रस्तावों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पास संदर्भित किया जाना चाहिए :

(i) प्रत्येक पद का पदनाम एवं संख्या;
(ii) समूह जिससे पद संबंधित हैं अर्थात समूह क, समूह ख, समूह ग या समूह घ;
(iii) प्रत्येक पद का वेतनमान;
(iv) भर्ती नियमों में प्रावधान के अनुसार प्रत्येक पद के लिए भर्ती की विधि; और
(v) प्रत्येक पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता।

5.7 यद्यपि उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार प्रत्येक समूह के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, इस प्रकार समूहबद्ध किसी भी पद / सेवा में कुल आरक्षण किसी भर्ती वर्ष में इसमें अर्थात विशिष्ट पद / सेवा में भरी जाने वाली कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी पद या सेवा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कुल आरक्षण भी उस विशिष्ट पद / सेवा में पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

आरंभिक आरक्षण रजिस्टर / रोस्टर तैयार करना

5.8 शुरुआती रूप में आरक्षण रजिस्टर तैयार करने के लिए, आरक्षण रजिस्टर शुरू करने की तारीख को सभी पद धारक उम्मीदवारों के नामों को रजिस्टर में दर्ज किया जा सकता है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले नियुक्त व्यक्ति से की जा सकती है, जो रजिस्टर शुरू करने की तारीख को संवर्ग में था। यदि संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का हो तो उसके नाम के सामने रजिस्टर के कालम 4 में एससी दर्ज किया जा सकता है। यदि उस उम्मीदवार की नियुक्ति आरक्षण द्वारा हुई हो तो कालम 5 में भी एससी लिखा जा सकता है परंतु यदि उसकी नियुक्ति उसकी अपनी योग्यता के आधार पर हुई हो, तो कालम 5 में यूआर लिखा जाएगा। यदि अगला नियुक्त व्यक्ति सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार हो तो उसके नाम के सामने कालम 4 में सामान्य लिखा जाएगा तथा कालम 5 में यूआर लिखा जाएगा और इसी प्रकार रजिस्टर को तब तक भरा जाएगा जब तक कि सभी नियुक्तियों को समायोजित नहीं कर लिया जाता है। ऊपर उल्लेख के अनुसार प्रविष्टियां करने के बाद आरक्षण द्वारा नियुक्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की संख्या, बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों, यदि कोई हो, के बारे में ब्यौरे का उल्लेख 'अभ्युक्ति' कालम में किया जा सकता है।

5.9 आरंभिक रजिस्टर तैयार करने के बाद, इसके पश्चात नियुक्त व्यक्तियों के नामों को उपर्युक्त के अनुसार कालम भरकर जोड़ा जा सकता है।

5.10 2 से 13 पदों वाले संवर्गों के लिए रोस्टर रजिस्टर अनुरक्षित किए जाएंगे। रोस्टर तैयार करने के लिए 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार संवर्ग के सभी पदधारियों के नामों को रजिस्टर में दर्ज किया जा सकता है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले नियुक्त व्यक्ति से की जा सकती है। यदि संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का उम्मीदवार हो, तो उसके नाम के सामने रजिस्टर के कालम 5 में एससी दर्ज किया जा सकता है। यदि उस उम्मीदवार की नियुक्ति आरक्षण द्वारा हुई हो तो कालम 6 में भी एससी लिखा जा सकता

है, परंतु यदि उसकी नियुक्ति उसकी अपनी योग्यता के आधार पर हुई हो तो कॉलम 6 में यूआर लिखा जाएगा। यदि अगला नियुक्त व्यक्ति सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार हो, तो उसके नाम के सामने कालम 5 में सामान्य लिखा जाएगा और कालम 6 में यूआर लिखा जाएगा, तथा ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक कि सभी नियुक्तियां समायोजित नहीं हो जाती हैं। ऐसा करते समय, सामान्य श्रेणी का कोई उम्मीदवार आरक्षित प्वाइंट पर आ सकता है तथा अजा / अजजा / अपिव का कोई उम्मीदवार अनारक्षित प्वाइंट पर आ सकता है। यदि आरक्षण द्वारा नियुक्त अजा / अजजा / अपिव के किसी उम्मीदवार को सामान्य प्वाइंट के विरुद्ध दर्ज किया जाता है, तो उस प्वाइंट के सामने अभ्युक्ति के कालम में तथा यथा स्थिति अजा / अजजा / अपिव के लिए आरक्षित निकटतम प्वाइंट के विरुद्ध भी इस आशय की प्रविष्टि की जा सकती है कि ऐसे उम्मीदवार को संगत आरक्षित प्वाइंट के विरुद्ध समायोजित के रूप में समझा जाए। इसी तरह ऐसे उम्मीदवारों के लिए अभ्युक्ति के कालम में प्रविष्टियां की जाएंगी जिन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में नियुक्त किया गया है परंतु जिनके नाम आरक्षित प्वाइंट पर आए हैं। अनसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित प्वाइंट के विरुद्ध आने वाले अनसूचित जातियों के उम्मीदवारों के संबंध में समान समायोजन किए जाएंगे। जब सभी 14 प्वाइंट का उपयोग हो जाए, तो रोस्टर का नया अध्याय शुरू किया जा सकता है। रोस्टर रजिस्टर आरंभ होने की तारीख को उतने रोस्टर प्वाइंट की खपत की गई समझा जा सकता है, जितने कर्मचारी रजिस्टर आरंभ होने की तारीख को रोस्टर प्वाइंट पर होंगे। इस प्वाइंट से आगे, आरक्षण द्वारा नियुक्त आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों तथा सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के समायोजन के अधीन रोस्टर प्वाइंट के अनुसार रिक्तियों को भरा जा सकता है।

योग्यता पर नियुक्त अनसूचित जातियों / अनसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार

5.11 सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों तथा पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों, जिन्हें उनकी स्वयं की योग्यता पर नियुक्त किया गया है न कि आरक्षण के कारण, को आरक्षित कोटे के विरुद्ध नहीं दर्शाना चाहिए। उन्हें अनारक्षित कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

5.12 यदि किसी संवर्ग में अनारक्षित रिक्ति उत्पन्न होती है तथा फीडर ग्रेड में विचार के सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों का कोई उम्मीदवार होता है, तो अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों के ऐसे उम्मीदवार को इस दलील पर पदोन्नति देने से मना नहीं किया जा सकता है कि यह पद आरक्षित नहीं है। पदोन्नति के लिए इस तरह के उम्मीदवार पर अन्य उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा तथा उसे इस रूप में समझा जाएगा कि वह सामान्य श्रेणी का है। यदि उसका चयन हो जाता है, तो पद पर उसकी नियुक्ति की जाएगी तथा उसे अनारक्षित प्वाइंट के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

5.13 अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों के केवल ऐसे उम्मीदवारों को स्वयं योग्यता वाले उम्मीदवारों के रूप में माना जाएगा जिनका चयन उसी मानक पर होता है जिस मानक को सामान्य उम्मीदवारों पर लागू किया जाता है। यदि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों का कोई उम्मीदवार अनुभव संबंधी अर्हता, लिखित परीक्षा में बैठने के अवसरों की संख्या, विचार क्षेत्र आदि में कोई छूट प्राप्त करके चुने जाने में सफल होता है, तो उसकी गणना आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध की जाएगी। इस प्रकार के उम्मीदवार पर किसी अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

5.14 अपनी स्वयं की योग्यता पर नियुक्त (सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा) तथा अनारक्षित प्वाइंट के विरुद्ध समायोजित अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के अपने स्टेटस को बनाए रखेंगे तथा भावी / अगली पदोन्नतियों, यदि कोई हो, में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

5.15 आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा की गणना आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवारों को निकालकर की जाएगी, जिन्हें उनकी स्वयं की योग्यता पर नियुक्त / पदोन्नत किया जाता है।

अनुकंपा आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का समायोजन

5.16 अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए चुने गए किसी व्यक्ति को आरक्षण रजिस्टर / आरक्षण रोस्टर रजिस्टर में उपयुक्त श्रेणी के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा अर्थात जिस श्रेणी से वह संबंधित है उसके आधार पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़े वर्ग / अनारक्षित श्रेणी। उदाहरण के लिए, यदि वह अनुसूचित जाति का है तो उसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किसी रिक्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। इसी तरह यदि वह अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़े वर्ग का उम्मीदवार होगा तो उसे यथा स्थिति अनुसूचित जन जातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। अनारक्षित श्रेणी के किसी उम्मीदवार को अनारक्षित रिक्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

संगत कार्यालय ज्ञापन आदि

1	एमएचए ओएम सं. 7/2/55 - स्था (एससीटी)	14 जनवरी, 1955
2	एमएचए ओएम सं. 31/10/63 - एससीटी(1)	27 मार्च, 1963 एवं 02 मई, 1963
3	एमएचए ओएम सं. 1/11/69 - स्था (एससीटी)	22 अप्रैल, 1970
4	एमएचए ओएम सं. 1/11/69 - स्था (एससीटी)	24 अप्रैल, 1970
5	डीओपी एंड टी ओ एम सं. 1/4/70 - स्था (एससीटी)	11 नवंबर, 1971
6	डी पी ए आर ओ एम सं. 10/52/73 - स्था (एससीटी)	24 मई, 1974
7	डीओपी एंड टी ओ एम सं. 8/1/74 - स्था (एससीटी)	20 दिसंबर, 1974
8	डी पी ए आर ओ एम सं. 36011/33/81 - स्था (एससीटी)	06 मार्च, 1976
9	डी ओ पी एंड आर ओ एम सं. 36011/33/81 - स्था (एससीटी)	05 अक्टूबर, 1981
10	डी पी ए आर ओ एम सं. 36011/46/81 - स्था (एससीटी)	04 फरवरी, 1982
11	डी ओ पी एंड आर ओ एम सं. 36012/3/1978 - स्था (एससीटी)	09 फरवरी, 1982
12	डी पी ए आर ओ एम सं. 36011/12/82 - स्था (एससीटी)	25 जून, 1982
13	डी पी ए आर ओ एम सं. 36011/28/83 - स्था (एससीटी)	12 मार्च, 1984
14	डी ओ पी टी ओ एम सं. 36011/1/98 - स्था (आरईएस)	01 जुलाई, 1998
15	डी ओ पी टी ओ एम सं. 36028/17/2001 - स्था (आरईएस)	11 जुलाई, 2002
16	डीओपी एंड टी ओ एम सं. 36017/1/2004 - स्था (आरईएस)	05 जुलाई, 2005
17	डी ओ पी टी ओ एम सं. 36017/1/2007 - स्था (आरईएस)	04 जुलाई, 2007

18	डी ओ पी टी ओ एम सं. 36012/45/2005 - स्था (आरईएस)	10 अगस्त, 2010

आरक्षण रजिस्टर

1. पद का नाम :
2. भर्ती की विधि : सीधी भर्ती / चयन द्वारा पदोन्नति / गैर चयन द्वारा पदोन्नति / सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा पदोन्नति
3. संवर्ग में पदों की संख्या (संवर्ग संख्या) :
4. निर्धारित आरक्षण का प्रतिशत : अजा -----, अजजा ------, अपिव -----

क्रम संख्या	नाम	नियुक्ति की तारीख	क्या अजा / अजजा / अपिव / सामान्य वर्ग का है	अनारक्षित के रूप मे या अजा / अजजा / अपिव के लिए अरक्षित के रूप में भरा गया	नियोक्ता प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7

आरक्षण रोस्टर रजिस्टर

1. पद का नाम :
2. भर्ती की विधि : सीधी भर्ती / चयन द्वारा पदोन्नति / गैर चयन द्वारा पदोन्नति / सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा पदोन्नति
3. संवर्ग में पदों की संख्या :
4. निर्धारित आरक्षण का प्रतिशत : अजा -----, अजजा ------, अपिव -----

चक्र संख्या / बिंदु संख्या	अनारक्षित या अजा / अजजा / अपिव के लिए आरक्षित	नाम	नियुक्ति की तारीख	क्या अजा / अजजा / अपिव / सामान्य वर्ग का है	अनारक्षित के रूप मे या अजा / अजजा / अपिव के लिए अरक्षित के रूप में भरा गया	नियोक्ता प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7	8